न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
बी0पी0– 255 / 2026
(चण्डी थाना कांड संख्या– 203 / 2026)

जितेन्द्र राम बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
19.06.2026	दिनांक– 14.03.2026 से काराधीन अभियुक्त जितेन्द्र राम की ओर से नियमित जमानत आवेदन पत्र जो बी0एन0एस0 की धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) के तहत चण्डी थाना कांड संख्या– 203 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक की ओर से पूर्व में किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई जमानत की अर्जी दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक आपस में दोनों सहोदर भाई हैं। आवेदक को गंदी देहाती राजनीति के तहहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर लगाया गया आरोप झूठा एवं मनगढ़ंत है। आवेदक किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है। यह कि आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है एवं उसे भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा सुचक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। जमानत के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि शोभा देवी दिनांक 13.03.26 को चंडी थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान दी। अपने पति रघुवीर राम के साथ घर पर बात–चीत कर रही थी तो जमीन को लेकर चल रहे लड़ाई झगड़ा की बात को लेकर मेरे भैंसुर जितेन्द्र राम एवं उसकी गोतनी रिंकू देवी गाली–गलौज करने लगे। मना करने पर लोहे के रड एवं गड़ासी से जितेन्द्र राम ने उसके पति रघुवीर राम को गला पर जान मारने के नियत से हमला किया जिससे गला कट गया। उसकी गोतनी रिंकु देवी उसके पति को माथा पर मारी जिससे माथा फट गया एवं खून निकलने लगा। हल्ला–गुल्ला सुनकर गाँव के लोग जुटे एवं अस्पताल ले गए। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 48 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ज़ख्म प्रतिवेदन अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक पर गड़ासी से अवैध मार–पीट का आरोप है लेकिन मैदान से एक छुरी बरामद हुई है। पीड़ित एवं आवेदक सगे भाई (एक ही माँ के बेटे) हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए रू0–10,000 / – (दस हजार) तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।	

लगातार...	(लेखापित) **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V,** **हिलसा (नालंदा)।**	

Date of Order	19.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	19.06.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENOGRAPHER)